Subject: **[Cag-all-offices] Strict compliance of the provisions contained in the Flag Code of India, 2002 and Preventation of Insults to National Honour Act, 1971- regarding.**
To: CAG-ALL-OFFICES@lsmgr.nic.in

Date: 04/01/15 04:13 PM
From: Vimala <aaoauditr@cag.gov.in>
Sender: cag-all-offices-bounces@lsmgr.nic.in

F.23014.1.2015-Ad,U,(i).docx (7.1MB)

D.A.G. (A)

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
पॅकिट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110 124

सँख्या:- 40 -स्टाफ हकदारी(नियम)/एन.आर/ 06-2015
दिनांक:- 01.04.2015

प्रति,
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग
के सभी कार्यालय ।

Sub: - Strict compliance of the provisions contained in the Flag Code of India, 2002 and Preventation of Insults to National Honour Act, 1971- regarding.
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय परिपत्र सं. F.23014/1/2015-Ad.I.(i) **दिनांक** 16/02/2015 **तथा गृह मंत्रालय, सार्वजनिक अनुभाग, नई**

क्षेत्रीय कार्यालय एवं अधिकारी कृपया इन आदेशों को आवश्यक कार्रवाई हेतु इस ई-मेल के संलग्नक से डाउनलोड कर लें।

Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi Circular No.- F.23014/1/2015-Ad.I.(i) dated 16/02/2015 and Ministry of Home Affairs, Public Section, New Delhi letter No. 15/3/2015-Public dated 16/1/2015 on the subject cited above has been attached with this E-mail.

The field offices and officers may download these orders attached with this E-mail for further necessary action.

भवदीया,

हस्ता/-
(ए.विमला)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ (नियम)

महालेखाकार सचिवालय
सी०ए०जी० डाक संख्या 07
दिनांक 06.4.15

6/4/15

Sr. D.A.G. (Admn.)'s Dy. No. 07
Date 06/4/15

6/4

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, चण्डीगढ़।

Sr. A.O. (Admn.) प्रशासन-1 / Flag Code of India / 2015–16 / 29-33 दिनांक 08.04.2015

मुख्यालय के पत्र संख्या 40 स्टाफहकदारी(नियम) / एनआर / 06–2015 दिनांक 01.04.2015 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

1. सचिव महालेखाकार
2. निजि सहायक, सभी ग्रुप अधिकारी / कल्याण अधिकारी
3. सभी अनुभाग
4. गार्ड फाईल
5. वी.एन.एस.

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.1)

No. F.23014/1/2015-Ad.I.(I)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

New Delhi, the 16 February, 2015

CIRCULAR

Subject: - Strict compliance of the provisions contained in the Flag Code of India, 2002 And Preventation of Insults to National Honour Act, 1971- regarding.

*****

Please find enclosed a copy of Ministry of Home Affairs' Communication No. 15/3/2015-Public dated 16th January, 2015 on the subject mentioned above for information and compliance.

(Ziley Singh Vical)
Under Secretary to the Govt. of India
☎ 2309 5695

To

All Officers/ Sections in the Department of Expenditure including Office of CGA/SIU/CPAO/FCD/7th CPC/CCA/EMC/NIFM etc.

Also forwarded to O/o C&A.G.
SO(EG)
20/2/2015
20/2
Sri Ramesh

No. 15/3/2015-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Public Section
***

North Block, New Delhi-1
Dated the 16 January, 2015

To

The Chief Secretaries / Administrators of
All State Governments / UT Administrations,
Secretaries of all Ministries / Departments of Govt. of India.

Subject:- Strict compliance of the provisions contained in the Flag Code of India, 2002 and Prevention of Insults to National Honour Act, 1971- regarding.

Sir/Madam,

I am directed to say that complaints are being received by this Ministry from various quarters about the insult or disrespect to the Indian National Flag on several occasions. The National Flag represents hopes and aspirations of the people of our country and hence should occupy a position of honour. A copy each of the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and Flag Code of India, 2002 are enclosed herewith for strict compliance of the provisions contained in the Act and the Flag Code. You are requested to create awareness programme in this regard.

2. It has been brought to the notice of this Ministry that on important events, the National Flag made of plastic are being used in place of paper Flags. Since, plastic flags are not biodegradable like the paper flags, these do not get decomposed for a long time and are harmful to the atmosphere. Further, ensuring the appropriate disposal of National Flags made of plastic with the dignity of the flag is a problem. It may also be noted that as per Section 2 of the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971- Whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or otherwise shows disrespect to or brings into contempt (whether by words, either spoken or written, or by acts) the Indian National Flag or any part thereof, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

3. You are, therefore, requested to ensure that on important national, cultural and sports events Flags made of paper only are used by public in terms of the provisions of the Flag Code of India and such paper Flags are not discarded or thrown on the ground after the event. Such Flags are to be disposed of in private consistent with the dignity of the Flag. Wide publicity for not using the National Flag made of plastic should be made alongwith its advertisement in the electronic and print media.

Hindi version will follow.

Yours faithfully,

Encl.:- As above.

(Shyamala Mohan)
Director to the Government of India
Tel. No. 2309 2587

(Admn) 25533/4CY

THE PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR ACT, 1971

No. 69 of 1971 (23rd December, 1971)

(Amended by the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2005)

No. 51 of 2005 (20th December, 2005)

An Act to Prevent Insults to National Honour

Be it enacted by Parliament in the Twenty- second year of the Republic of India as follows: -

1 **SHORT TITLE AND EXTENT**

(1) This Act may be called the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971.

(2) It extends to the whole of India.

2 **INSULT TO INDIAN NATIONAL FLAG AND CONSTITUTION OF INDIA**

Whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or *otherwise shows disrespect to or brings into contempt (whether by words, either spoken or written, or by acts) the Indian National Flag or the Constitution of India or any part thereof, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Explanation 1 – Comments expressing disapprobation or criticism of the Constitution or of the Indian National Flag or of any measures of the Government with a view to obtain an amendment of the Constitution of India or an alteration of the Indian National Flag by lawful means do not constitute an offence under this section.

Explanation 2 – The expression, "Indian National Flag" includes any picture, painting, drawing or photograph, or other visible representation of the Indian National Flag, or of any part or parts thereof, made of any substance or represented on any substance.

Explanation 3 – The expression "public place" means any place intended for use by, or accessible to, the public and includes any public conveyance.

*Explanation 4 - The disrespect to the Indian National flag means and includes—

(a) a gross affront or indignity offered to the Indian National Flag; or

(b) dipping the Indian National Flag in salute to any person or thing; or

(c) flying the Indian National Flag at half-mast except on occasions on which the Flag is flown at half-mast on public buildings in accordance with the instructions issued by the Government; or

(d) using the Indian National Flag as a drapery in any form whatsoever except in state funerals or armed forces or other para-military forces funerals; or

(e) #using the Indian National Flag:-

(i) as a portion of costume, uniform or accessory of any description which is worn below the waist of any person; or

(ii) by embroidering or printing it on cushions, handkerchiefs, napkins, undergarments or any dress material; or

(f) putting any kind of inscription upon the Indian National Flag; or

(g) using the Indian National Flag as a receptacle for receiving, delivering or carrying anything except flower petals before the Indian National Flag is unfurled as part of celebrations on special occasions including the Republic Day or the Independence Day; or

(h) using the Indian National Flag as covering for a statue or a monument or a speaker's desk or a speaker's platform; or

(i) allowing the Indian National Flag to touch the ground or the floor or trail in water intentionally; or

(j) draping the Indian National Flag over the hood, top, and sides or back or on a vehicle, train, boat or an aircraft or any other similar object; or

(k) using the Indian National Flag as a covering for a building; or

(l) intentionally displaying the Indian National Flag with the "saffron" down.

3. **PREVENTION OF SINGING OF NATIONAL ANTHEM**

Whoever intentionally prevents the singing of the Indian National Anthem or causes disturbances to any assembly engaged in such singing shall be punished with imprisonment for a term, which may extend to three years, or with fine, or with both.

*3A **MINIMUM PENALTY ON SECOND OR SUBSEQUENT OFFENCE**

Whoever having already been convicted of an offence under section 2 or section 3 is again convicted of any such offence shall be punishable for the second and for every subsequent offence, with imprisonment for a term, which shall not be less than one year.

Note 1: * Inserted vide The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2003 (No. 31 of 2003 dated 8.5.2003)

Note 2: # Inserted vide The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2005 (No. 51 of 2005 dated 20.12.2005)

संख्या 15/3/2015-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 16 जनवरी, 2015

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि कई एक अवसरों पर इस मंत्रालय में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान अथवा असम्मान के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अतः, इसे पूर्ण सम्मान मिलना अपेक्षित है। तदनुसार, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002, प्रत्येक की एक प्रति, उक्त अधिनियम तथा झंडा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न की जाती है। आपसे यह अनुरोध है कि इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम संचालित करें।

2. इस मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि महत्वपूर्ण अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि, प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघट्य (bio-degradable) नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं और ये वातावरण के लिए भी हानिकारक होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का सम्मानपूर्वक उचित निपटान सुनिश्चित करना एक समस्या है। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

3. अतः, आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता के प्रावधान के अनुरूप, जनता द्वारा केवल कागज से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाए तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फैंका जाय। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाय। प्लास्टिक से बने झंडे का उपयोग न करने संबंधी व्यापक प्रचार इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के साथ किया जाए।

संलग्नक - यथोपरि

भवदीया,

(श्यामला मोहन)
निदेशक, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 2587

प्रति प्रेषित:-

1. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
12. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
13. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
14. गृह मंत्रालय के सभी संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
15. 20 अतिरिक्त प्रतियां ।

(श्यामला मोहन)
निदेशक, भारत सरकार
दूरभाष 2309 2587

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971

1971 की संख्या 69 (23 दिसम्बर, 1971)

(राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित)

2005 की संख्या 51 (20 दिसम्बर, 2005)

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण के लिए एक अधिनियम

इसे संसद द्वारा भारतीय गणतंत्र के बाइसवें वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाए:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार

(1) यह अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

2. भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान

कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1- भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2- 'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, ड्राइंग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3- 'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

*स्पष्टीकरण 4- भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अपमान का अर्थ निम्नलिखित होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) भारतीय राष्ट्रीय झंडे का घोर अपमान या अनादर करना; या

(ख) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को झुकाना; या

(ग) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जिन अवसरों पर सरकारी भवनों पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर फहराया जाना हो, उन अवसरों के सिवाय झंडे को आधा झुकाकर फहराना; या

(घ) राजकीय अंत्येष्टियों या सशस्त्र सैन्य बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों की अंत्येष्टियों को छोड़कर झंडे का किसी अन्य रूप में लपेटने के लिए प्रयोग करना; या

(ङ) #भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का,

(i) किसी भी प्रकार की ऐसी वेषभूषा, वर्दी या उपसाधन के, जो किसी व्यक्ति की कमर से नीचे पहना जाता है, किसी भाग के रूप में, या

(ii) कुशनों, रूमालों नैपकिनों, अधोवस्त्रों या किसी पोशाक सामग्री पर कशीदाकारी या छपाई करके, उपयोग करना: या

(च) भारतीय राष्ट्रीय झंडे पर किसी प्रकार का उत्कीर्णन करना; या

(छ) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर समारोह के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने के सिवाय भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने या ले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग करना; या

(ज) किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की मेज या वक्ता के मंच को ढकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करना; या

(झ) जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जमीन या फर्श से छूने देना या पानी पर घसीटने देना; या

(ञ) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव या किसी वायुयान या ऐसी किसी अन्य वस्तु के हुड, टाप और बगल या पिछले भाग पर लपेटना, या

(ट) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए प्रयोग करना; या

(ठ) जानबूझकर 'केसरी' पट्टी को नीचे रखकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराना।

3. राष्ट्रीय गान के गायन को रोकना

जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदा करता है उसे तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

* 3क दूसरी बार के या बाद के अपराध के लिए न्यूनतम दंड

जो कोई व्यक्ति, जिसे धारा 2 या धारा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध ठहराया गया हो, ऐसे किसी अपराध के लिए फिर से दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो उसे दूसरी बार के या उसके बाद के हर बार के अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।

नोट 1 : * राष्ट्रीय गौरव निवारण्ण (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 31, दिनांक 8.5.2003) के तहत जोड़ा गया।

नोट 2 : #राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 51, दिनांक 20.12.2005) के तहत जोड़ा गया।